69

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक : 167-दो/2014 - विरूद्ध आदेश दिनांक 18-3-2013 - पारित व्दारा - अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल - प्रकरण कमांक 293/2011-12 अपील

जय अम्बिका गृह निर्माण समिति अध्यक्ष
अम्बाराम पाटीदार आत्मज आत्माराम
निवासी गंज आष्टा जिला सीहोर म0प्र0 ---आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री प्रेम सिंह ठाकुर)

आदेश

(आज दिनांक 25-06-2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के प्रकरण कमांक 293/2011-12 अपील में पारित आदेश दिनांक 18-3-2013 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि पटवारी ग्राम आष्टा व्दारा तहसीलदार आष्टा को इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि ग्राम आष्टा की भूमि सर्वे नंबर 430/1क1 रकबा 8.595 हैक्टर शासकीय अभिलेख में चरोखर निस्तार नोईयत दर्ज है इसी भूमि के अंश भाग 0.47 एंव 2.11 एकड़ कुल 2.58 एकड़ (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) भूमि पर आवेदक ने अवैध अतिक्रमण कर लिया है। तहसीलदार आष्टा ने प्रकरण कमांक 3 अ 68/2010-11 पॅजीबद्व किया तथा आवेदक को कारण बताओ नोटिस जारी किया। तहसीलदार ने आवेदक की सुनवाई कर जांच उपरांत आदेश दिनांक 31-1-12

पारित किया तथा आवेदक को चरोखर निस्तार भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्व आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी, आष्टा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी, आष्टा ने प्रकरण कमांक 23/2011-12 अपील में पारित आदेश दिनांक 20-3-12 से तहसीलदार के आदेश दिनांक 31-2-12 को आंशिक रूप से सॅशोधित करते हुये अर्थदण्ड रू. 1000/- समाप्त करते हुये तहसीलदार के आदेश के शेष भाग को यथावत् रखा। अनुविभागीय अधिकारी, आष्टा के आदेश दिनांक 20-3-12 के विरूद्व आवेदक ने अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल ने प्रकरण कमांक 293/11-12 अपील में पारित आदेश दिनांक 18-3-2013 से अपील अस्वीकार की। अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के इसी आदेश के विरूद्व निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि तहसील न्यायालाय ने प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही किये बिना आदेश दिनांक 31-1-12 से भूमि से बेदखली के गलत आदेश दिये हैं क्योंकि तहसील न्यायालय ने आवेदक को साक्ष्य प्रस्तुत करने का मौका नहीं दिया है। सर्वे नंबर 430 के पश्चिम दिशा में शासकीय रास्ता एंव सर्वे नंबर 332/1ग में भी रास्ता है । इन भूमियों पर अनेक व्यक्तियों का अतिक्रमण है जिन्हें भी सुना जाकर यह डिसाईड होता कि आवेदक का कब्जा है अथवा नहीं है। नवीन संशोधन अधिनियम 2011 के अनुसार बाजार मूल्य के आधार पर अर्थदण्ड नहीं किया जा सकता है। तहसीलदार का आदेश एकपक्षीय आधारों पर है परन्तु अनुविभागीय अधिकारी एंव अपर आयुक्त ने इस ध्यान नहीं दिया है। इसलिये तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करके प्रकरण में आवेदक को सुनवाई का एंव बचाव प्रस्तुत करने का मौका दिया जावे।

5/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को के कम में अधीनस्थ न्यायालय के

अभिलेखों का अवलोकन करने पर स्थिति यह है कि पटवारी हलका नंबर 27 व्दारा आवेदक के विरूद्ध तहसीलदार आष्टा के समक्ष प्रस्तुत अतिक्रमण रिपोर्ट के साथ जो खसरा प्रस्तुत किया गया है उसके कालम नंबर 1,2, 3, 12 की स्थिति इस प्रकार है

कालम नंबर 1	कालम नंबर 2	कालम नंबर 3	कालम नंबर 12
430 / 1क 1	21–23 8–595 चरोखर निस्तार	म0प्र.शासन	रकबा 10.00 एकड़ में स्टेडियम है दशहरा मैदान 2.90 एकड़

उपरोक्त का अर्थ यह है कि संपूर्ण रकबा 8–595 हैक्टर शासकीय अभिलेख में चरोखर दर्ज होकर मध्य प्रदेश शासन की सार्वजनिक निस्तारी भूमि है जो नगरीय क्षेत्र की होकर बेसकीमती भूमि है। पटवारी हलका नंबर 27 व्दारा प्रस्तुत अतिक्रमण रिपोर्ट अनुसार जय अम्बिका निर्माण समिति अध्यक्ष अम्वाराम पुत्र आत्माराम पाटीदार आष्ठा व्दारा इसी भूमि के अंश भाग 0.47 एंव 2.11 एकड़, इस प्रकार कुल 2.58 एकड़ भू भाग पर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट है। पटवारी रिपोर्ट अनुसार आवेदक उक्त भूमि का अतिक्रामक होना पाया गया है।

5/ जहां तक आवेदक को तहसीलदार व्दारा साक्ष्य एंव सुनवाई का अवसर न दिये जाने का प्रश्न है ? तहसीलदार ने पटवारी रिपोर्ट पर से आवेदक के विरूद्ध प्रकरण क्रमांक 3 अ 68/2010–11 पॅजीबद्ध किया है तदुपरांत आवेदक को सुनवाई का अवसर देने हेतु दिनांक 18–10–11 की पेशी नियत कर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आवेदक तहसीलदार के समक्ष 22–10–11 को उपस्थित हुआ है एंव उसके व्दारा आवेदन में यह लिखकर कि बचाव प्रस्तुत करने हेतु युक्तियुक्त समय प्रदान किया जावे, तहसीलदार को आवेदन दिया है इसके उपरांत आगामी पेशी 29–10–11 को आवेदक श्री जुगल किशोर पाटीदार अभिभाषक के साथ उपस्थित हुआ है एंव आवेदक को सुनवाई हेतु आगामी पेशी 2–11–11 दी गई है। दिनांक 2–11–11 को आवेदक ने स्वयं् के बचाव में लेखी उत्तर दिनांक 2–11–11 प्रस्तुत किया है इसके वाद भी आवेदक का यह तर्क देना कि आवेदक को तहसीलदार ने बचाव प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया है आवेदक के अभिभाषक का यह तर्क विसंगतिपूर्ण है। तहसीलदार आष्टा के प्रकरण की आर्डरशीट दिनांक 8–11–11 का अंतिम पद इस प्रकार है :–

* यह कि आवेदक ने जवाव पेश नहीं किया है। अतः उन्हें जवाव पेश करने का एक अवसर दिया जावे। अनावेदक अधि. का आग्रह न्याय हित में स्वीकार किया जाकर उन्हें जवाव पेश करने हेतु अंतिम अवसर दिया जाता है। *

आगामी पेशी 30-1-12 को पुनश्च कर अपरान्ह 3-30 बजे आर्डरशीट इस प्रकार लिखी गई है :-

* अनावेदक अम्वाराम पाटीदार अध्यक्ष जय अम्बिका गृह निर्माण समिति आष्टा उपस्थित । ——— अम्वाराम व्दारा मौखिक रूप से न्यायालय के समक्ष स्वीकार किया गया कि कन्नौद रोड के पूर्व में जो 2-11 एकड़ शासकीय भूमि पर अतिक्रमण बताया जा रहा है इस शासकीय भूमि पर उनके व्दारा कोई पक्का निर्माण नहीं किया गया है केवल मवेशी अंदर न आयें इस नाते कन्नौद रोड की साईड पर उक्त शासकीय भूमि पर एंव अनावेदक संस्था की भूमि पर तार व्दारा मात्र फेंसिग की गई है। अनावेदक व्दारा मौखिक यह भी स्वीकार किया है कि कन्नौद रोड के पश्चिम में उनके समाज की शिक्षण संस्था है जिससे लगी हुई शासकीय भूमि 0.45 एकड के आवंटन हेतु उन्होंने प्रथक से आवेदन दिया हुआ है तथा उक्त शासकीय भूमि के आवंटन की प्रत्यासा में उनके व्दारा उक्त भूमि पर कन्नौद रोड की साईड से पक्की वाउन्ड्री बना ली है तथा अन्य साईड से तार फेंसिग कर ली है। यह भी स्वीकार किया कि भीतर उक्त शासकीय भूमि पर बोरवेल भी खोद लिया है। *

तहसीलदार व्दारा लिखी गई उक्तानुसार आर्डरशीट से स्पष्ट है कि आवेदक को सुनवाई का पर्याप्त अवसर मिला है एंव आवेदक शासकीय भूमि का अतिक्रमणकर्ता प्रमाणित हुआ है जिसके कारण तहसीलदार आष्टा व्दारा पारित Speaking आदेश परिपूर्ण है जहां तक अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 20-3-12 एंव अपर आयुक्त भोपाल के आदेश दिनांक18-3-13 का प्रश्न है ? यह आदेश भी Speaking आदेश है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुँजायश नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार निगरानी सारहीन होने से निरस्त करते हुये अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल व्दारा प्रकरण कमांक 293/2011-12 अपील में पारित आदेश दिनांक 18-3-2013 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर